# हिमाचल अभी अभी

ABHI ABHI

/himachal.abhiabhi @himachal_abhi

नई सोच नई खोज

प्रधान संपादक : डॉ. राजेश शर्मा साप्ताहिक



प्रेरक : स्व. पंडित बालकृष्ण शर्मा

RNI No. HPHIN/2015/68432 वर्ष 12 अंक 36 कांगड़ा। शनिवार, 07 नवंबर -13 नवंबर, 2026 www.himachalabhiabhi.com तदनुसार 22 कार्तिक, विक्रमी संवत् 2083 कुल पृष्ठ 4 मूल्य ₹5 | Postal Regn.No. DGPUR/26/24-26


# बीबीएमबी मामले में हिमाचल की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत

# सीएम बोले- हर साल 500-1000 करोड़ की कमाई होगी



**पंकज शर्मा**

- दृढ़ इच्छाशक्ति से मिली सफलता, प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार
- हिमाचली हितों का संरक्षण करने में विफल रही बीजेपी, विधायक चोरी करने में व्यस्त रही

हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने अधिकारों और संसाधनों की रक्षा में एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के 15 साल पुराने एरियर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। चंबा जिले के मैहला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए इसे पूरे प्रदेशवासियों की जीत करार दिया।

सीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश को कुल 55 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी, जिसे भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड अगले 20 वर्षों की अवधि में राज्य को हस्तांतरित करेगा। यदि राज्य सरकार इस बिजली को 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेचती है, तो प्रदेश को हर साल लगभग 500 करोड़ का सीधा राजस्व प्राप्त होगा।

राजस्थान की तर्ज पर यदि अन्य राज्यों के साथ 5.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद समझौता होता है, तो यह सालाना राजस्व 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर नीयत नेक हो, इच्छाशक्ति दृढ़ हो और लगन से प्रयास किए जाएं, तो कोई भी कानूनी या प्रशासनिक जंग जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हिमाचल के हक की यह चौथी बड़ी कानूनी जीत है। इससे पहले सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध मामलों में भी राज्य के पक्ष में फैसले ला चुकी है।

सीएम ने इस जीत का श्रेय मंत्रिमंडल के सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं की टीम को देते हुए उनका तहेदिल से धन्यवाद व्यक्त किया।

भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड एरियर मामले को लेकर सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्व की 'डबल इंजन सरकार' ने हिमाचल प्रदेश के इस हक की लड़ाई को मजबूती से क्यों नहीं लड़ा। सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिमाचल के हितों का संरक्षण करने में पूरी तरह विफल रही और जनहित की लड़ाई लड़ने के बजाय राजनीतिक जोड़-तोड़ व विधायक चोरी करने में व्यस्त रही।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने व्यक्तिगत हितों के बजाय केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के राजस्व और संसाधनों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि अधिकारों की यह जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। वाटर सेस और चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी जैसी महत्वपूर्ण लड़ाईयां अभी शेष हैं, जिन्हें सरकार मजबूती से लड़ेगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बावजूद, प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक व आर्थिक सुदृढ़ीकरण की नीतियों के बल पर हिमाचल प्रदेश 2032 तक देश का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य बनेगा। राज्य के संसाधनों से होने वाली इस आय का उपयोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजनाओं में किया जा रहा है।